निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 1113) पटना शुक्रवार 30 दिसम्बर 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
30 दिसम्बर 2022
अधिसूचना संख्या 15/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 492, दिनांक 30 दिसम्बर 2022— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) में, प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा- :

"स्पष्टीकरण- : इस प्रविष्टि के तहत छूट के प्रयोजन के लिए, एक पंजीकृत व्यक्ति को रिहायशी आवास किराए पर देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं शामिल होंगी जहाँ कि -

(i) ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जो स्वत्वधारी समुत्थान का स्वत्वधारी है और किसी रिहायशी आवास को अपनी व्यक्तिगत क्षमता में

अपने निवास के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेता है; और

(ii) इस तरह का किराया उसके अपने खाते पर है और जिसका स्वत्वधारी समुत्थान का कोई संबंध नहीं है।";

(ii) क्रम संख्या 23क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

---

30 दिसम्बर 2022

एस० ओ० 492, दिनांक **30 दिसम्बर 2022** का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)- 15)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th December 2022

Notification No. 15/2022– State Tax (Rate)

S.O. 492, Dated 30th December 2022— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) and (3) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 555, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) againstS. No. 12, in column (3), after the entry, the following explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation. - For the purpose of exemption under this entry, this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person where, –

(i) the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own residence; and

(ii) such renting is on his own account and not that of the proprietorship concern.";

(ii) S. No. 23A and the entries relating thereto, shall be omitted.

2. This notification shall come into force with effect from the 01st day of January, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 15)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1113-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in